राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 65/2012/जयपुर

मैसर्स पी.एच.आई.सीड्स लि0,
जी–842, वी के आई एरिया जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–ई, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :– 23.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय वाणिज्यिक क़र जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 169 /अपील्स–तृतीय/11–12/ई में पारित आदेश दिनांक 13.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ई, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.06.2010 के द्वारा कर रू. 5,918/–, ब्याज रू. 5,660/– एवं शास्ति रू.130/– आरोपित की है, को यथावत रखा जाता है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2002–03 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2005 को पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा दर्शायी बाजरा एवं सरसों कुल रूपये 63,68,553/–की बिक्री वापसी को अस्वीकार करते हुए 4 प्रतिशत की से कर रूपये 2,54,744/– एवं ब्याज रूपये 97,703/– निर्धारित किये। प्रपत्र देरी से पेश करने के कारण धारा 61 में शास्ति रूपये 130/– आरोपित की। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपने निर्णय दिनांक 01.05.2008 द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। सशक्त अधिकारी ने प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में अपीलार्थी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी ने बिक्री पालना के क्रम में क्रमांक एफ.4(8)एफडी/ग्रुप–4/94–49 दिनांक 07.03.1994 की फोटो प्रति पेश करते हुए कथन किया कि बाजरा पर राज्य में कोई कर देयता नहीं है जिसे सशक्त अधिकारी ने स्वीकार करके कोई करारोपण नहीं किया। परन्तु अपीलार्थी–व्यवहारी के द्वारा शेष रूपये 4,14,600/– की सरसों की बिक्री वापसी के

क्रम में क्रेडिट नोट पेश किये, जिनकी जांच पर यह पाया गया कि रू. 1,47,917/–की सरसों की बिक्री वापसी छः माह से अधिक की है, जिसे सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 5,918/–, तथा अधिनियम की धारा 58 के तहत रूपये 5,660/– ब्याज निर्धारित किये। इसके अलावा अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रपत्र 5–ए देरी से पेश करने के कारण शास्ति रू. 130/–कुल रू.11,708/– अधिरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 11.06.2010 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13.10.2011 पारित कर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए, सृजित मांग को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी–व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने विज्ञप्ति क्रमांक एफ4(8) एफडी/ ग्रुप–4/94–49 दिनांक 07.03.1994 का हवाला देते हुए बताया कि बाजरे पर राज्य में कोई कर देयता नहीं है। अतः वापसी को स्वीकार कर कोई करारोपण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा सरसों की बिक्री के क्रम में क्रेडिट नोट पेश किये जिसमें सशक्त अधिकारी द्वारा रूपये 1,47,917/– की सरसों की बिक्री वापसी 6 माह से अधिक की होने के कारण स्वीकार नहीं की है जो विधिसम्मत नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (1977) 039 एसटीसी 30 गिरधारी लाल नन्नेलाल बनाम आयुक्त वा.क. म.प्र. एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (2002) 127 एसटीसी 524 मेड़ता ट्रेड एण्ड इण्ड. बनाम राजस्थान सरकार व अन्य व (1978) 42 एसटीसी 145 बंदामिदी राजेह एण्ड संस बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वा. क. आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद व इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (1988) 69 एसटीसी 42 मित्तल एण्ड कंपनी बनाम वा. क. अ. उ. प्र. लखनऊ व (2001) 121 एसटीसी 415 कन्होरिया पाईप एण्ड फिटिंग कंपनी बनाम वा. क. अ. उ0. प्र0 लखनऊ तथा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित निर्णय 42 टैक्स अपडेट 41 वा. क. अ. अलवर बनाम विजय इण्ड0 खैरथल आदि निर्णयों का हवाला देते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व सशक्त अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा की गयी जॉच के अनुसार विक्रय वापसी 6 माह से अधिक समय बाद की होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कर व ब्याज को आरोपण किया, जो विधिसम्मत है। उक्त तथ्यों का समर्थन राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 (जिससे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 25(1)(सी) से होता है, जो निम्न प्रकार है :–

"25.(1)(c) the sale price of the goods rerurned to the dealer by the purchaser within a period of six months from the date of delivery thereof."

अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त नियम एवं प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.10.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष